भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 771
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों का कवरेज

771. श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री इटेला राजेंदर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय दिव्यांगजन संबंधी नेटवर्क (एनडीएन), जो दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों और संघों का एक समूह है, ने केंद्र सरकार से संपर्क कर बिना किसी आय या आयु मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों को (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है, जिसका उद्देश्य उन गरीबों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, जो उच्च प्रीमियम के कारण सार्वजनिक और निजी बीमा कवरेज से वंचित हैं और सरकार से न्यूनतम वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) अथवा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को इस संबंध में राष्ट्रीय दिव्यांग नेटवर्क (एनडीएन) से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लाभार्थी आधार में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी -2011) में चिन्हित किए गए गरीब और कमजोर परिवार शामिल हैं। एसईसीसी-2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव के लिए मानदंडो में "दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं" शामिल है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना के तहत शामिल

किया गया था। इसके अलावा, राज्यों को प्रदान किए गए लचीलेपन के आधार पर, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल के डेटा को शामिल करने के लिए लाभार्थी आधार का विस्तार किया गया है।

इस योजना में पैकेज मास्टर में कुछ चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पैकेज हैं जैसे तंत्रिका विकार, मानसिक विकार, रीढ़ की हड्डी में चोट, मस्तिष्क की चोट, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, कर्णावत प्रत्यारोपण सर्जरी, रीढ़ की विकृति / पैर में विकृति के लिए सर्जरी आदि के लिए पैकेज जिनका उपयोग उन लाभार्थियों द्वारा किया जा सकता है जो दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) हैं।

इसके अलावा, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं और इस प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों को अभिसरित एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाता है।

*****